० नम्बर ...113... किस्म ...1...5... ...[illegible]... उनवान ...[illegible]...

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

दिनांक	फर्द अहकाम	
11/7/22	पत्रावली पेश हुई। सायल व सायल वकील उप॰ नहीं। ~~मुकदमा~~ में सायल व सायल वकील को बार-बार आवाज दिलवायी गयी। आवाज दिलवाने के बावजूद सायल व सायल वकील उप॰ नहीं। जिससे जाहिर होता है कि सायल व सायल वकील मुकदमा आगे चलाने में रुचि नहीं ले रहा है। अतः मु॰ न॰ 113/15 T.f. मानसिंह बनाम जमुना आदम हाजरी व आदम दैनी में खारिज किया जाता है। पत्रावली दोयम शुमार होकर नम्बर से कमी।	

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)